



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA

मुख्य कार्यालय / Head Office

भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066

Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi- 110066

www.epfindia.gov.in , www.epfindia.nic.in

2 नवम्बर 2011
NOV 2011

संख्या आर आर सी / सूचना का अधिकार (1) 2011/

दिनांक

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराना ।

चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत श्री के.एम.कोटरेया द्वारा उनके लिखित आवेदन दिनांक 30.09.2011 (10.10.2011को प्राप्त) के द्वारा सूचना हेतु अनुरोध किया गया है।

2. चूंकि, मुझे उक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी नियुक्त किए जाने पर अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर उस पर विचार कर सूचना देना आवश्यक है।

3. एवं चूंकि अधिनियम की धारा 5(4) में प्रावधान है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, यदि उचित समझे, अपने कर्तव्य के उचित निर्वाह हेतु किसी अन्य अधिकारी की सहायता ले सकता है। उप पैरा (5) में आगे यह प्रावधान भी है कि जिस अधिकारी से सहायता मांगी गई है वह केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को पूरी सहायता देगा। यदि अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के कारण शिकायत भेज दी जाती है, तो ऐसे अन्य अधिकारी को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी माना जाएगा एवं वह अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत दण्ड का भागी हो सकता है। आगे, उपबन्धों का उल्लंघन होने अथवा दस्तावेज/सूचना उपलब्ध न कराने पर ऐसा अधिकारी अधिनियम की धारा 20 (1) के अन्तर्गत देरी के लिए, 250/-रूपये प्रतिदिन की दर से दण्ड का भागी होगा जो कि 25000/-रूपये तक बढ़ सकता है।

4. एवं चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) में प्रावधान है कि:

“जब सूचना के लिए जन अधिकारी को आवेदन किया गया हो :-

(i) जो किसी अन्य जन अधिकारी के पास उपलब्ध हो ; अथवा

(ii) जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य जन प्राधिकारी के कार्यों से संबंध रखती हो,

जिस जन प्राधिकारी को ऐसा आवेदन किया गया हो, वह आवेदन को अथवा इसके किसी माग को, जैसा उचित समझे उस अन्य अधिकारी के पास स्थानांतरित करेगा एवं आवेदन कर्ता को ऐसे स्थानांतरण की तत्काल सूचना देगा।”


5. चूंकि आवेदन की जाँच से मैंने पाया है कि आवेदनकर्ता द्वारा बिन्दु संख्या 9(क) (ख) (ग) में मांगी गई सूचना क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों से संबंधित एवं उनके पास उपलब्ध हैं, मैं उक्त अधिनियम की धारा 5(4) का उपयोग करते हुए आवेदनकर्ता द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत गई सूचना/दस्तावेज इस प्रति की प्राप्ति के 07 दिन के भीतर, अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र को स्थानांतरित करता हूँ । कृपया



आप नोट करें की मांगी गई सूचना/दस्तावेज निर्धारित समयावधि के भीतर उपलब्ध कराने में हुई देरी के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत दण्डिक उपबन्ध है ।

6. कृपया इसे अति तत्काल समझे ।

संलग्न: दिनांक 30.09.2011 के आवेदन पत्र की प्रतिलिपि



(डॉ. ए. के. दूबे)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (वसूली)

सेवा में,

क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. श्री के.एम.कोटरैया, डोर संख्या 978/24 ए, सैकेंड मेन, 11वां क्रॉस, भागरसिंह नगर, दावनगेर - 577 002 को उनके आवेदन संख्या शून्य दिनांक 30.09.2011 के संबंध में।
2. के.अ.जन सू.अ./अनु.अधि. (ज.सू.वि.) को उनके पत्र संख्या ज.सू.वि./मु./608 ए /11/9801-06 दिनांक 20.10.2011 के संबंध में।
3. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एन.डी.सी.) इस पत्र की प्रतिलिपि (आवेदन पत्र की प्रतिलिपि सहित) वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

Employees Provident Fund Organisation,
Head office, Bhavishya Nidhi Bhawan,
16, Bhikaji Cama place, New Delhi 110066.

9

ನಮೂನೆ-ಎ(ಮಾ.ಪ.ಹ ಅಧಿನಿಯಮ ೨೦೦೫ ರ ೬(೧) ಮತ್ತು ೭ (೧) ನೇ ಷರಣ

FORM-A (Section 6(1) and 7(1) of the RTI Act-2005)

<p>೧. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು Name of Applicant.</p>	<p>K.M. KOTRAIAH, President, EPF Pensioners' Welfare Society (Regd)</p>
<p>೨. ವಿಳಾಸ Address</p>	<p>Door No. 978/24-A, 2nd main, 11th cross, Bhagat Singh Nagar, Davanagere - 577002 (Karnataka)</p>

೩. ಕೋರಿದ ದಾಖಲೆ/ಪರಿಶೀಲನೆ/ಮಾಹರಿ ವಿವರ

Part-A

ಕೆಳಕಂಡ ವಿವರಿಸಿ.
particulars of documents/information called for:

Following information may please be provided for in connection with filing of a writ before High Court of Karnataka.

- 1) No. of PF members - SRO wise, state wise, (a) List of Employers with address, PFC code & No of members - SRO - state wise
- 2) No. of pensioners - SRO wise, state wise;
- 3) Total amount of Contribution received under EPS-95, as on date
- 4) What are the total funds with EPFO under different heads
 - a) the manner in which the funds are invested
 - name, amount invested, interest received per year.
 - b) total amount of interest accrued so far.
- 5) Amount of pension paid per annum; total amount paid so far.
- 6) Amount of Employers' contribution per annum received, - Total contribution received so far since inception,
- 7) Amount of Govt contribution per annum -
 - a) total amount of Govt contribution since inception
 - b) Arrears if any
- 8) What is the amount available with EPFO by means of imoperative accounts / Non productive accounts
 - a) No. of a/c's b) Amount c) Names of establishments, PFC code, pertaining to which such accounts belong.
- 9) No. of defaulting establishments
 - a) Amount in default b) what action taken for recovery of default amount c) penal interest collected, if any, since inception and during previous year
- 10) Pl arrange to send copies of annual reports for the years 2007-08, 2008-09, 2009-10 and 2010-11

P/O

೪. ಮೇಲಿನವು ಯಾವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ.

೫. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ
ಆಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಕೋರಿದೆಯೋ ಅ ಆಧಿಕಾರಿಯ
ಪದನಾಮ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ

I hereby state the information sought for is not covered under the categories which are exempted from disclosure of information under section-8 or under section-9 of the right to information Act-2005 and to the best of my knowledge it pertains to your Secretariat.

I hereby state that the prescribed application fee of Rs. 10/- (ten rupees) has been paid through postal order, bearing No. 03F706012 dated: 30.9.11

Transfer to RC-424

AMIT VASHIS
Regional P. F. Commissioner

Part B
Particulars of EPFO

1. Total strength of staff of EPFO - officers category -
no. of categories - nomenclature of post - strength in each category
2. (a) no. of SR's b) no. of RO's
(b) Non-gazetted officers - no. of categories - nomenclature of posts - strength in each category
(c) Ministerial staff - categories - nomenclature - strength in each category
3. What is the amount of expenditure of EPFO per month under each heads - salary - Rent - Fuel & Oil - printing & Sta - TA/DA - meetings - phones - Misc. etc etc - and total exp per month
4. Source of funds from which the expenses are met
a) Government b) EPFO c) -
5. What is the quantum of pension paid to retired personnel of EPFO under each category and at what rates?

K. K. Kulkarni
President
EPF Pensioners Welfare Society
Door No. 978/24-A, 2nd Main,
1st Cross, Bhagat Singh Nagar
- 577002 (Karnataka)